

अभिलेख दिनांक ११/११/१७ को रखा है।

bal
१३/११/१७

१० XI

प्रथम पक्ष चलाकर दोउर्ब, एवं कमल लोचना
दोउर्ब उपस्थित है। अभिलेख माला की ओर
से अधिवक्ता हाजिरी दिया गया।
द्वितीय पक्ष की ओर से सुभाष चन्द्र
पारिक उपस्थित। अन्य द्वितीय पक्ष की ओर
से अधिवक्ता हाजिरी दिया गया। फीजिबल
पक्ष। अवरुद्ध पर है। अभिलेख दिनांक
११/११/१७ को रखा जात है।

११ XII

प्रथम पक्ष चलाकर दोउर्ब, एवं कमल
लोचना दोउर्ब उपस्थित है। दोनों पक्षों
अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि मामला
शांत है। समझावधि समाप्त होने के कारण
वाद ही की गई समझ ही जाती है।

bal
०१/११/१७

कार्यपालक दण्डाधिकारी
राजपुर